मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 1-1/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 8 मार्च, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- व्यक्तिगत जमा खातों के परिचालन के संबंध में ।

संदर्भ- वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-8/2007/नियम/चार, दिनांक 21-11-2008 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ 1-2/2010/नियम/चार, दिनांक 23-2-2010.

—••—

प्रदेश में विभिन्न विभागों के अंतर्गत ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते (P D Account) संचालित हैं जिनमें राज्य शासन की संचित निधि से आहरित राशि जमा है। ये व्यक्तिगत जमा खाते विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खोले जाते हैं तथा उक्त उद्देश्य पूर्ण होने पर इन्हें बंद किया जाना चाहिये । परन्तु ऐसा देखने में आया है कि उद्देश्य पूर्ण होने के उपरान्त भी यह खाते बंद नहीं किये गये हैं ।

2/ मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 543 में यह भी प्रावधान है कि जिन मामलों में व्यक्तिगत जमा खाते संचित निधि को डेबिट (Debit) कर खोले जाते हैं, उन मामलों में वित्तीय वर्ष के अंत में संचित निधि के सुसंगत सेवा शीर्ष में Minus Debit द्वारा इन्हें बन्द किया जाना चाहिये तथा यदि पुनः आवश्यक हो, तो ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते आगामी वित्तीय वर्ष में फिर से सामान्य रीति से खोले जा सकते हैं ।

3/ म.प्र. कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 543 में यह प्रावधान है कि यदि व्यक्तिगत जमा लेखा लगातार तीन वर्षों तक अप्रचलित रहता है तो कोषालय अधिकारी लेखा के प्रशासक को संबोधित करेगा तथा उससे अपेक्षा करेगा कि एक माह के अन्दर कारण बताया जाये कि जमा शेष को क्यों न राजस्व निक्षेप में जमा किया जाए । यदि प्रशासक का पता नहीं चले या एक माह के अन्दर सूचना का जवाब देने में असफल रहे या कोषालय अधिकारी को व्यक्तिगत जमा लेखा निरंतर चालू रखने के बारे में औचित्य बताने में असफल रहता है, तो कोषालय अधिकारी महालेखाकार की पुस्तक से शेष का मिलान

तथा सत्यापन कराने उपरान्त महालेखाकार को मांग पत्र भेजकर लेखा के शेष से राजस्व निक्षेप में जमा करेगा । इसके पश्चात् वह सामान्य राजस्व निक्षेप की मदों के समान म.प्र. कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 543 अनुसार व्यवहारित होगा तथा पूर्वतर उसका पुनर्भुगतान नहीं किया गया है तो सहायक नियम 562 के उपबंधों के अध्यधीन शासन को व्यपगत तथा जमा करेगा ।

4/ महालेखाकार म.प्र. द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया है कि कई कार्यालय प्रमुखों द्वारा संचित निधि को डेबिट कर खोले गये व्यक्तिगत जमा खातों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बंद नहीं किया गया है जो नियमों का उल्लघंन है तथा वित्तीय अनुशासन के विरूद्ध भी है। अतः अनुरोध है कि व्यक्तिगत जमा खातों के संबंध में ऊपर उल्लेखित कंडिका-2 एवं कंडिका-3 अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सभी व्यक्तिगत जमा खाता धारकों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 1-1/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2013

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(सुरेन्द्र नाथ शुक्ल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग